राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 42 / 2024

कुलराज मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.01.2024
आदेश की दिनांक : 12.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रबंध निदेशक, जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, जयपुर में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 05.01.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डूंगरपुर किया गया है, जो वर्तमान पदस्थापन स्थान से 600 कि.मी. दूर है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 30.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी को जयपुर से सहायक कलक्टर, बूंदी निम्नतर पद पर स्थानान्तरित किया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3074 / 2023 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 02.11.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया गया और अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 02.11.2023 (अनुलग्नक–4) के द्वारा निलंबित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3096 / 2023 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2023

(अनुलग्नक–5) के द्वारा उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया गया। परंतु प्रबन्ध निदेशक जयपुर दुग्ध सहकारी संघ विभाग द्वारा अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3074/2023 स्थानान्तरण हेतु तथा अपील संख्या 3096/2023 निलम्बन के विरूद्ध पारित आदेश की अनुपालना नहीं किये जाने पर अवमानना संख्या 196/2023 प्रस्तुत की, जिस पर अधिकरण द्वारा नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.12.2023 की अनुपालना में अपीलार्थी को कार्यग्रहण करवाया गया, परंतु उक्त दोनों अपीलें अधिकरण में आज दिनांक तक लंबित होते हुए भी आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जयपुर से डूंगरपुर कर दिया गया, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

3. अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 05.01.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान पर कार्य करने के निर्देश दिए जावें एवं नियमित वेतन दिया जावे।

4. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रबंध निदेशक, जयपुर जिला, दूध उत्पादक सहकारी संघ, जयपुर में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 05.01.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डूंगरपुर किया गया है। चूंकि अपीलार्थी राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अधिकारी है और प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में कार्मिक/अधिकारी की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

6- अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 600 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

उपरोक्त आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

8. आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य